एलियन वुमेन

एकल महिलाओं पर श्वेत पत्र

एक के तन पर सोने के तार एक के तन पर सूत नहीं इसलिए हम आवाज उठाते हैं क्योंकि ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं

महात्मा गांधी ने कहा है कि भारतीय राजनीति का न केवल क्रांतिकरण करना होगा बल्कि औरतों के लिए सम्पूर्ण जीवन का क्रांतिकारी परिवर्त्तन करना होगा. सभी सामाजिक और धार्मिक वर्जनाएं जो विधवा विवाह के मार्ग में बाधाएं हैं उन्हें दूर करना होगा. वयस्क विधवाओं के विवाह के मामलों में तमाम बाधाओं को दूर करना होगा. यदि कोई विधवा औरत अकेली रहना नहीं चाहती है तो उसे पुनर्विवाह करने का पूरा अधिकार है. समाज को ऐसे विवाह को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए.

भूमिका

भारत में एकल नारियां, स्थिति, दिशा और दशाएं

एक तरफ राष्ट्पिता महात्मा गांधी ने विधवा अकेली औरत के बारे में जो उदात्त विचार दिए थे उस पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि इसके बारे में भी जनसाधारण को कोई जानकारी नहीं है और न ही विधवा के पुनर्विवाह के लिए अब भी रूढ़िवादी समाज तैयार है.

भारत एक अर्द्ध सामंती अर्द्ध पूंजीवादी देश हैं जहां अब भी औरत या तो उपभोग की वस्तु या फिर इस्तेमाल की चीज हैं. इस सामाजिक आर्थिक ढांचे में एकल औंरतें तो उपभोग और इस्तेमाल दोनों तरह की वस्तु हैं.

सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था में एकल औरतें एक आवश्यक बुराई के तौर पर इस ढांचे की उपज हैं. जिनकी समस्याओं पर गौर किया जाना और हल किया जाना बाकी है. यही कारण है कि एकल नारी के सवाल आज व्यवस्था के सवाल नहीं बन पा रहे हैं. एकल नारियां पितृसत्तामक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे का विद्रूप चेहरा है. चीन की सांस्कृतिक क्रांति में चीनी शासकों ने वेश्याओं के साथ अपने कम्युनिस्ट कैडरों को विवाह कर उन्हें सम्मानित पारिवारिक दर्जा देने का क्रांतिकारी कार्य कर देश में क्रांति का सूत्रपात किया था. वहीं भारत में तो विवाह नामक संस्था को ही आर्थिक कारणों व अन्य अमानवीय व्यवहारों के कारण तोड़कर एकल महिलाओं की फौज खड़ी की जा रही है. 2011 के जनगणना से प्राप्त आंकड़े इनकी बढ़ती संख्या को दर्शाते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक अवमूल्यन को गहरा संकेत देता है.

खगोलीकरण ने सामाजिक सांस्कृतिक हालात में जबरदस्त भूचाल पैदा किया है. इससे औरतों के हालात में अनेक दृष्टिकोणों से बुनियादी परिवतर्तन हुए हैं. औरतों के सम्मान और सुरक्षा का सवाल इसलिए भी मजबूती से उभरा है और उसकी हर तरह की हैसियत पर चर्चा चल पड़ी है. यह पारम्पारिक समाज का एक संक्रमणकारी दौर है. यह संभवतः बराबरी की ओर ले जाएगा या फिर किसी अन्य प्रकार

की असमानता को जन्म देगा.

सम्पूर्ण पुरूष की तर्ज पर बात करें तो कौन है सम्पूर्ण महिला. और फिर एकल नारी की बात करें तो कौन है एकल नारी. क्या इस पूरे ग्लोब में एकल नारी की कोई कल्पना रही है. या फिर एकल नारी एक आधुनिक समाज की विडबंनाओं से उपजी एक त्रासदी भर का नाम है.

सम्पूर्ण औरत सर्वगुणसम्पन्न और स्त्रीत्व के हर गुणों अवगुणों से लैस मानी जाती है. क्या एकल नारी भी इसी शब्दावली का हिस्सा है.बेटी के रूप में जनम लेती, बहन के रूप में पलती बढ़ती, पत्नी का रूप लेती और फिर माता का गरिमामय जीवन सम्पूर्ण औरत को सृष्टि का विराट् चमत्कारिक भव्यता प्रदान करता है. इसलिए वह ममतामयी, करूणामयी, सहनशील और सृजनधारी होती हैं. क्या एकल औरतें ऐसी नहीं!

एकल औरतें भी ठीक ऐंसी ही गुणवान, चरित्रवान और सद्गुणों और सदाचार का संवाहक होती हैं.लेकिन क्या कारण है कि आज एकल नारी पूरी व्यवस्था के लिए नासूर बनती जा रही हैं.

एकल महिला की अवधारणा और इतिहास

भारतीय समाज में औरतों की पहचान मर्दो के साथ जोड दिया गया है। बिन मर्दो के औरतों को या तो बेचारी, असहाय, अबला, कलंकिनी या दुःचरित्रा के नाम से पुकारा जाता है। पुरूषतांत्रिक व सामन्तवादी समाज व्यवस्था नें औरतों का अकेला रहना कभी नही स्वीकारा। विधवा, परित्यकता, पति को छोडकर रहने वाली, बिन ब्याही, तलाकशुदा, परिस्थितियों के वजह से एकल, बिन ब्याही माँ को समाज ने पहचान, स्वीकृति व सम्मान कभी नही दिया, जिसके फलस्वरूप ये एकल महिलाएँ आज संसाधनहीन हाशिये पे खडी है। उनके साथ वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार 34789729 तथा 2011 जनगणना 45798800 प्रतिशत स्त्री–जनसंख्या एकल औरतें हैं। समय परिवर्तन के साथ–साथ औरतों के उत्थान व उनके विकास के लिए सरकार व समाज सुधारकों ने कई कदम उठायें है पर इन सब में एकल औरतों को वंचित रखा गया। जो औरत अपने परिवार में घर और बाहर का काम दिन–रात करती है वे जब एकल होती है तो उन्हे घर व परिवार की सम्पत्ति व संसाधन से वंचित कर दिया जाता है। विधवाओं के पति की सम्पत्ति में कानूनी हक होने के बावजुद उन्हें अपना हिस्सा शायद ही कभी मिलता है। यदि मिलता भी है तो सिर्फ कागजों पर, उस पर उसका वास्तविक नियंत्रण नही होता। आज संयुक्त परिवार टुट रहें है। एकल औरत के रहने की समस्या और भी गंभीर है। विधवा महिलाओं को छोड़कर अन्य एकल महिलाओं को शायद ही संयुक्त परिवार में रहने के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। आवास, सुरक्षा और रोजगार उनकी मुख्य जरूरत होती है। शिक्षा व जानकारी की कमी से वे धोखे की भी शिकार हो जाती है। अकेलेपन से कई मानसिक समस्याएँ भी सामने आती है जैसे – उदासी, चिंता, तनाव, डर आदि।

भारतीय ग्रामीण समाज में एकल औरतों की स्थिति और खराब है। एकल होने के बाद व बच्चो के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। उन्हे अपने बच्चे तथा आजीविका दोनों को देखना पडता है। प्रतिदिन 12 से 16 घण्टे काम करने के बावजूद भी उन्हें अपने गुजारा करने जैसी आय नही होती है जिससे वे अपने बच्चो कों

भी काम करने के लिए बाहर भेजे देते है।

सरकार की किसी भी योजनाएँ इनके लिए लाभदायक नही हुई। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को सरकारी सुविधा मिलती है पर ये महिलाएँ बच्चों के साथ रहने पर भी इन्हें परिवार का दर्जा नही दिया गया जिसके फलस्वरूप इस एकल महिला वाले परिवार को गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवार का लाभ नही मिल रहा है।

सरकार की महत्वकांक्षा नरेगा योजना जो रोजगार व आजीविका का श्रोत के रूप में देखा जा रहा है। यह योजना भी इन एकल महिलाओं को लाभ नही दे पा रहा है। नरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड एकल महिलाओं के नाम पर नही बल्कि वे जिस परिवार में आश्रित है उन परिवार की मुखिया का नाम पर है, उनकी मर्जी पर एकल महिला नरेगा का काम कर सकती है इसी तरह राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा सुविधा एवं अन्य कोई भी योजना से एकल महिला वंचित रह जाती है।

बुजुर्ग एकल औरतों की समस्या और अधिक है वे अपने बच्चों के परिवार में नौकरानी बनकर रह जाती है उन्हे न प्यार, न आराम, न इज्जत ही दी जाती है। कभी–कभी उन्हे डायन करार कर मारना–पीटना जैसे शारीरिक अत्याचार तक किया जाता है। एकल औरतें चाहे जिस जाति, वर्ग या धार्मिक समुदाय से हो, वे सबकुछ सामान्य पूर्वाग्रह को झेलती है। दूसरी ओर सरकारी ऑकडों से जाहिर होता है कि औरत प्रधान घरों की संख्या बढ़ रही है। आज लगभग 25 से 35 प्रतिशत घर एकल औरतें खुद चला रही है। इन एकल औरतों का सामाजिक, आर्थिक योगदान कम नही है, फिर सवाल उठता है कि उनकी जगह, नाम और हकों की बात क्यों नहीं। परिवार, समाज, धर्म और परम्परा सभी में भेदभाव हो रहा है।

हमारे देश में विधवा औरतों की तादाद लाखों में है. 1961 में 23024884 यानी कुल आधी आबादी का 10.82 प्रतिशत 1971 में 23411925 जो कि 8.86 प्रतिशत, 1981 में 25767260 यानी कि 8.02 प्रतिशत, 1991 में 26205118 यानी कि 6.50 प्रतिशत और 2001 में 3,4289729 यानी कि आधी आबादी का 6.91 प्रतिशत है. इनमें 1.4 प्रतिशत अविवाहित और 0.5 प्रतिशत तलाकशुदा या परित्यकता हैं.

अनुमान के मुताबिक एकल नारियों कर भारत में आबादी 40 मिलियन है जो कि कनाडा की पूरी आबादी से अधिक है. ये आंकड़े बताते हैं कि अगर वास्तविक आकलन किया जाए तो एकल औरतों की तादाद इनसे तीन गुनी होगी.

फ्रांस की प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन द बूवा ने कहा है कि सत्ता और संसाधन/सम्पत्ति पर औरतों के अधिकार के बिना उनके स्टेटस में आमूलचूल परिवर्त्तन संभव ही नहीं हैं.

आज पूरी दुनिया में मात्र 1 प्रतिशत औरतों के पास भूमि है. एकल महिलाएं भूमिहीन हैं. बेघर होने के बाद उनके पास आवास या भूमि क्योंकि भूमि की सामुदायिक व्यवस्था होने से औरतों के हिस्से की बात गौण हो जाती है. ऐसे में भूमि औरतों के नाम नहीं हो पाती और यह भूखमरी का सबसे बड़ा कारण बनता है.आदिवासी एकल औरतें इसी कारण गरीबी और उत्पीड़न का शिकार होती हैं और निम्नस्तरीय जीवन जीने का अभिशप्त होती हैं.या फिर अपने बच्चों या फिर स्वयं अपने रोजी रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर होती हैं. पलायन उनकी गरीबी को बढ़ाता है. उनके घरविहीनता को स्थायी बनाता है और उनकी खाद्य असुरक्षा को असंभव बनाता है. उसे न्यूनतम मजदूरी के लिए भी लालायित होना पड़ता है और भरपेट खाना तो नहीं ही मिल पाता है.

एकल महिलाओं में भूमिहीन औरतों की तादाद सर्वाधिक होना उनके गरीब से भी गरीबी का परिचायक है. **90%** एकल महिलाएं जिनके पास भूमि ही नहीं है. **32%** महिलाएं इनमें से ऐसी हैं जिन्हें **पति का भूमि** रहते हुए भी भूमि पर दखल कब्जा नहीं दिया गया. एकल होने की वजह से इन महिलाओं को भूमि अधिकार से वंचित रखा गया है. एकल महिलाओं में बड़ी संख्या **24%** के करीब जिनकी भूमि को दूसरों ने नाजायज तौर तरीके अपनाकर हडप़ लिया और एकल औरतों को बेदखल कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को विस्थापित होने को विवश कर दिया गया. भूमि हड़पने वालों ने एकल महिलाओं की भूमि को उन्हें फुसला और बरगला कर धोखे व छल से दूसरों को बेच दिया और उन्हें भूमि से वंचित कर दिया.

एकल महिलाओं की भूमि हड़पने की नीयत से एकल महिलाओं

को भूमि का पंजीकरण ही नहीं होने दिया गया. ऐसी **70%** महिलाएं भुमिहीन होने के बाद दिहाड़ी मजदूर के रूप में, घरेलू कामगार के रूप में काम करने का विवश हो गई. इसके साथ ही जंगलों से सूखी लकड़ियों को लाकर बेचकर किसी तरह गुजर बसर करने को बाध्य हो गई. ऐसी एकल औरतों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है. इससे उनके जीवन में सामाजिक असुरक्षा हमेशा बनी रहती है. सरकार की किसी योजना में भी उन्हें लायक नहीं बनाया जाता है. भूमि नहीं होने से वे इंदिरा आवास से भी वंचित होती हैं. ऐसे में उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र हासिल नहीं हो पाता है. ऐसी महिलाएं वनाधिकार कानून से वंचित हैं. एकल महिलाओं के लिए भूमि को सम्पत्ति, आजीविका और स्थायित्व के तौर पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है.इससे वंचित होने का अर्थ है उनके वजूद को ही नष्ट कर देना यानी अस्तित्वविहीन बना देना. यह एक घातक सोच है जो समाज के लिए खतरे की घंटी है.

भारत के पितृसत्तात्मक समाज में कुल 10.4 प्रतिशत घरों का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में है. इनमें से एक तिहाई घरों का प्रबंधन विवाहित महिलाओं के हाथों में है जो कि मातृसत्तात्मक समुदायों से है या परिवार के पुरूषों के जीवनयापन के लिए कहीं अन्यत्र चले जाने के कारण है. शेष दो तिहाई परिवारों का संचालन एकल नारी खासकर विधवाओं के द्वारा किया जा रहा है.ये या तो विधवाएं हैं या फिर पति ने इनका परित्याग कर दिया है.या वे अकेली रहती हैं या फिर अपने पर आश्रितों की देखभाल करती हैं. पूरी दुनिया में एकल महिलाओं के द्वारा परिवारों का संचालन देखभाल व पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करना अब एक नयी परिघटना है. ऐसे परिवारों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है.यह समाज और परिवार नामक संस्था के तेजी से विघटन का परिचायक भी है. इसके मूल में परिवार के पुरूष सदस्यों पतियों के द्वारा अधिक शराब का सेवन करना, पारिवारिक हिंसा, तलाक, अलगांव, विधवा होना और पुरूषों का पलायन होना भी है. परिवार का नेत्त्व कर रही एकल महिलाएं पुरूषों के तुलना में अच्छी कमाई कर रही होती हैं. आर्थिक निर्भरता होने से वह उम्रदराज और अधेड़ व बूढ़े लोगों की आश्रय दे रही है.

एकल नारी सशक्ति संगठन ने एक अध्ययन और अपने दशक से अधिक सालों के कामकाज में पाया कि 20 मिलियिन विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 60 से अधिक है. महिलाओं की कुल आबादी में से विधवा होने की घटनाओं की संख्या उम्र बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ती है. दूसरे शब्दों में महिलाओं की संख्या का दो तिहाई भाग 70 वर्ष की आयु आते आते पति की स्वाभाविक मृत्यु होने व अन्य उपरोक्त कारणों से विधवा हो जाती हैं. केवल 45 प्रतिशत विधवा महिलाएं ही ऐसी हैं जो अपना 60 जन्म दिवस मना पाती हैं. उन्हें अपनी जरूरत, अपना स्वास्थ्य के अलावा अपने जीवन साथी के बिना एकान्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है. इन आंकड़ों और तथ्यों के विष्लेशण के आधार पर उनके लिए अलग से नीति निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही है. एकल महिलाओं की अनेक श्रेणियों के मद्देनजर वृद्ध और जवान एकल नारियों के सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के आकलन के मद्देनजर नीति योजना और कार्यक्रम बनने चाहिए.

विकलांग भी अब दृष्यमान है. लेकिन एकल महिला अब भी अदृष्यमान है. आजादी के 65 वे गणतंत्र के बाद भी एकल महिलाओं के साथ हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव अदृष्यमान ही है.

भारतीय संविधान में औरतें और एकल औरतों का नागरिक अधिकार

भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 21 सभी नागरिकों पर समान तौर पर लागू होते हैं. औरतें भी नागरिक होने के नाते हर अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी सकती है. लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकार भी हासिल नहीं होते हैं. इसके लिए इन्हें लम्बी जद्दोजहद करनी पड़ती है. हर दृष्टिकोण से कमजोर औरतों को संवैधानिक अधिकारों को हासिल करना चांद पर जाने जैसी बात लगती है. यही कारण है कि उनके मानवाधिकारों को घनघोर उल्लंघन किया जाता है.असंख्य एकल महिलाएं अपने मूलभूत मानवाधिाकारों से वंचित हैं. सच तो यह है कि एकल औरतों को दोयम दर्जा भी हासिल नहीं है. उन्हें उप मानव (sub human) की श्रेणी में भी शायद ही रखा जा सकता है.

एकल नारी की परिभाषा

एंकल शब्द के मायने क्या हैं ! और एकल नारी की क्या परिभाषा है! एकल शब्द औरतों के संदर्भ में ही क्यों है! इन बिन्दुओं पर पड़ताल अभी बाकी है. भारत के संदर्भ में एकल नारी का जो स्वरूप उभरा है उससे पूरी सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एकल नारी की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा के ठीक विपरीत है. पश्चिमी देशों में औरतों की आजादी का मतलब कुछ हद तक स्वछंदता की विविध सीमाओं से हैं. वहां जहां चाह वहां राह वाली कहावत चरितार्थ होती है. वहां औरत आर्थिक गुलामी से बाहर होती है और उसकी जिन्दगी के नए आयाम इसी आर्थिक आजादी से ही खुलते हैं. लेकिन इसके ठीक विपरीत भारत में आर्थिक गुलामी से औरत वह भी एकल औरत की जिन्दगी जिल्लत भरी होती है. ऐसे में एकल औरतों की अवधारणा पश्चिमी देशों और भारत में स्वाभाविक तौर पर बुनियादी रूप से भिन्न है. पश्चिमी देशों में एकल महिलाएं का जीवन उनके च्वायस पर आधारित है. वहां इसे एक समस्या के तौर

पर नहीं लिया जाता है. बल्कि महिलाएं अपने नारीवादी सोच के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए अपनी राह स्वयं तलाशती हैं.

एकल औरतों की पीड़ा को यहां शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है. उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार जो उन्हें पशुओं की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं.

भारत की एकल औरतें वे हैं जो बुनियादी तौर पर जीने के तमाम हकों से वंचित हैं. एकल औरतें आवासविहीनता, भूमिहीनता, सम्पत्तिविहीनता, संसाधनविहीनता, संस्कृतिविहीनता,समाजहीनता की शिकार हैं. किन्हीं कारणों से यदि उनके जीवन में पुरूष का छत्रछाया न हो तो वे हर अधिकार से वंचित होती हैं जो उन्हें एक नागरिक या एक इंसान के नाते मिलना है.उसे वह सम्मान मान या ओहदा जो बेटी के रूप में बहन के रूप में, पत्नी के रूप में या फिर मां के रूप में मिलना है वंचित होती हैं. ऐसे में समाज का हर वर्ग उन्हें दुत्कारता है और ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक उपेक्षा झेलती हैं जो उन्हें पूरे ढांच में अलग थलग कर देता है और ताउम्र वह उस सांचे में पड़ी रह जाती हैं.

दिनोंदिन सिंगल वुमन की संख्या में इजाफा होना सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में हो रहे बिखराव के गंभीर संकेत हैं.

समाज में एकल औरतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. एकल औरतों का मतलब समाज का टूटना और परिवार का बिखरना भी है.

एकल औरत का मतलब समाज की उपेक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से अलग हुई एकल औरतें हैं.

यह निश्चित तौर पर अनिच्छा से परिस्थितिवश पैदा हुई औरतों का ऐसा वर्ग है. जो परिस्थितियों का मारा है.

अपनी इच्छा से एकल जीवन चुनने वाली एकल औरतों की स्थिति बहुत ही भिन्न है.

इन महिलाओं में तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहिता, सजायाप्ता व्यक्ति की पत्नी या किसी बीमारी के कारण अलग रह रही, शारीरिक निःसक्तता या किसी परिस्थितिवश बनी एकल महिलाएं हैं.

एकल औरत की अवधारणा भारत में हाल के दशक में उभर कर

आई है. जब महिलाओं की समस्याओं के विभिन्न पहलूओं पर विमर्श किया जाता रहा है.

एकल औरत की परिभाषा क्या हो इस पर बात हो तो उस पूरे परिस्थितिजन्य हालातों का अवलोकन करना होगा जिसके कारण से वह अकेली रह गई है और एक तरह से समाज की गहरी उपेक्षा ने उसका जीवन दूभर कर दिया है. यह भी जरूरी नहीं कि विधवा होना ही औरत के अकेलेपन का कारण हो. यदि परिवार में विधवा बहन या विधवा मां की देखभाल भाई या बेटा करे तो उससे एकल औरत की पीड़ा कम हो जाती है.वहां एकल औरत उसी तरह से उपेक्षित नहीं होती जिस तरह से एकल विधवा औरत उपेक्षित निसहाय और असुरक्षित होती है.यहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि एकल औरत यानी कि निहायत ही अकेली औरत. जिसे न तो परिजनों का सहारा मिला न ही समाज का.

वास्तव में एकल औरत समाज में पूरी तरह से एलियन जीवन जी रही हैं जिन्हें समाज ने कोई स्थान नहीं दिया है. वह उपेक्षित और बहिष्कृत जीवन जीने को अभिशप्त है. इसमें अविवाहित औरतें, परित्यक्त औरतें, युद्ध और दंगों में मारे गए पुरूषों की विधवा औरतें भी शामिल हैं.

यानी एकल औरत का तात्पर्य सामाजिक सांस्कृतिक ही नहीं आर्थिक और राजनीतिक तौर पर उपेक्षित औरतों को सिंगल वुमेन की श्रेणी में रखा जा सकता है.

एक बड़ी संख्या महिलाओं की ऐसी है जिसे या तो पति ने छोड़ दिया है या उसे कहीं रखकर पति ने दूसरी शादी कर ली है. दहेज के लिए छोड़ दिया है. बेटी पैदा होने की वजह से छोड़ दिया है. माओवादी नरसंहार में मारे पुरूषों की विधवा या पति की मृत्यु हो गई है या युद्ध में पति मारे गए हैं या पति की शराब पीकर मृत्यु हो गई है. एकल विकलांग महिलाएं एकल विधवा औरतें, एकल अविवाहित महिलाएं, नशापान की वजह से पति की मौत के कारण एकल विधवा औरतें, एकल नारी सशक्ति संगठन के अध्ययन और विवरणात्मक आंकड़े बताते हैं कि दो बड़ी समस्याओं में सामाजिक सुरक्षा और आवासविहीनता एकल औरतों की मूल समस्याएं है.

झाड़खंड में एकल नारी : एक परिदृश्य

जब ले हम हली सधवा केहू ना देवे ध्यान हो
विधवा होते डाइन कहे साझे बिहान हो

एकल औरतों की पीड़ा इन अक्षरों से समझी जा सकती है.

झाड़खंड में एकल नारी सशक्ति संगठन का गठन नवम्बर 2005 में किया गया. यह संगटन 21 जिलों के 62 प्रखंडो में चल रहा है. अब तक 34048 महिलाएं इसकी सदस्य बन चुकी हैं. यह एकल महिलाएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है. संगठन के माध्यम से ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्श कर रही हैं.

एकल नारी सशक्ति संगठन ने एकल महिलाओं को चिन्हित कर उनकी पीड़ा तलाशनी शुरू की तो समाज की भयावह तस्वीर सामने आई. ए. ना. स. सं. ने एकल औरतों की भीड़ और समस्याओं के अम्बार के मद्देनजर तात्कालिक व दूरगामी लक्ष्य तय किए. उनका मकसद है–

- एकल नारी सशक्ति संगठन के माध्यम से क्षमता का विकास करना ताकि वे सशक्त बनें
- सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों से स्वयं एवं समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्श करना
- एकल नारी की स्थिति में बदलाव लाने के लिए कानून, नीति, एवं योजना निर्माण हेतु दबाव तथा वकालत करना
- संगठन के माध्यम से असुरक्षित संसाधनहीन अवस्था से संसाधन व सुरक्षित स्थिति तक पहुंचाना
- सामूहिक प्रयासों से आय संवर्द्धन योजनाओं को लागू करवाना जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त किया जा सके.
- सदस्यों की मदद से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना
- कानून व नीतियों का अपने हक के लिए कार्यरूप दिलाने का प्रयास करना साथ ही जन वकालत के माध्यम से आवश्यक नीति का निर्माण करना तथा एकल नारी के क्षमता व योग्यतानुसार हर क्षेत्र में उन्हें प्राथमिकता दिलाने का प्रयास करना

- एकल नारियों के चहुंमुखी विकास के लिए उन्हें विविध तर की सूचना व जानकारी से सम्पन्न करना ताकि व अन्याय का प्रतिकार कर सके और अपना हक पा सके.

समस्याएं और एकल नारियां

एकल औरतें और समस्याएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.एकल औरतों की सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और सैद्धान्तिक समस्याएं भी विविधताओं से भरपूर है.

अभावों का जखीरा

हालांकि परम्परागत तौर पर यह माना जाता है कि विधवाओं की देखभाल उनके पतियों द्वारा बढ़ाए गए परिवारों के द्वारा ही की जाती है. लेकिन अध्ययन में केस उदाहरणों में पाया गया है कि ऐसा विरले ही होता है. विधवा और एकल महिलाएं अपने ही परिवारों में अपने रिश्तेदारों के दबाव में ही रहते हैं.वे अपने हक की सम्पत्ति पाने के लिए भी परिवारों में संघर्ष करती रहती है. शारीरिक और आर्थिक रूप से वह परिवार के सदस्यों के बीच भी असुरक्षित रहती है. संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण यदि वे उसे और उसके उपर आश्रित को रखने के लिए राजी होते हैं तो ठीक है. नही तो वह स्वतंत्र रूपप से अकेली रहने को मजबूर होती है. ऐसी स्थिति में उसे पितृसत्तातमक सुरक्षा जिसमें आर्थिक आजादी न के बराबर होती है. विधवा औरतें अपने मायके की राह लेती हैं वहां भी उसे हर तरह के मानवीय सुरक्षा और अधिकार नहीं मिल पाते हैं.

आर्थिक असुरक्षा उन्हें जीवन के हर संकट में डाल देता है और वह अपने सम्पत्ति को गिरवी रखने या बेचने को तैयार होती हैं, भीख मांगने और बच्चों को काम पर भेजती हैं.ऐसा भी है कि वह कभी कभी लोगों की ''इच्छाओं''को पूरा करने का काम भी करती है. जो उन्हें सहायता देते हैं. विधवाओं में से लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं अपनी देखभाल स्वयं करती हैं. यदि बेटे हैं और देखभाल के लिए तैयार होते हैं तो उनपर निर्भर होती हैं. ऐसी संख्या भी अल्पतम है. अत्यअल्प एकल महिलाएं ऐसी हैं जो दूसरों के घरों से नियमित तौर पर भोजन

प्राप्त करती हैं या किसी तरह उनका गुजारा चल जाता है.

एकल नारी सशक्ति संगठन ने तीन राज्यों का सर्वे कर यह पाया कि एकल औरतें ''भूख के साथ जीने'' को अभिशप्त हैं. 47 प्रतिशत एकल महिलाएं अपने खाद्य सुरक्षा के लिए स्वयं कमाती हैं. 27 प्रतिशत प्राथमिक रूप से सरकारी योजनाओं की कृपा पर है. 20 प्रतिशत महिलाएं परिवार के अन्य सदस्यों से सहायता या यह कहना कि उनकी दया पर निर्भर है. 3 प्रतिशत महिलाएं अपनी भूमि और सम्पत्ति बेचकर प्राप्त पैसों पर निर्भर है. एकल महिलाओं में 3 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं कि वे भीख पर निर्भर करती हैं या दानदाताओं पर टिकी होती हैं. यह प्रतिशत दस के लगभग हो सकती है. बुनियादी तौर पर सम्पत्तिविहीनता औरतों को भिखमंगा की श्रेणी में ला खड़ा करता है.

अनेक परिवारों में विधवाएं जो अपने परिवार पर आश्रित हैं वे घर के किसी उत्पादक कार्य में हाथ न बंटाएं या योगदान न दे तो उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है. यदि वे शारीरिक अस्वस्थता के कारण घरेलू कार्य में हाथ न बटाएं या फिर बच्चों की देखभाल न करें या भूमि की आय या पेंशन राशि, या मजदूरी इत्यादि से परिवार में आर्थिक सहयोग न करे तो उनके दर बदर होने की संभावना बढ़ जाती है जो उन्हें भीख आधारित जीवन जीने को बाध्य करता है.

सम्पत्ति के परम्परागत अधिकार से वंचित

कानून भारत में विधवा, परित्यक्ता, यानी पहली पत्नी और तलाकशुदा महिलाओं को अपने पति की सम्पत्ति पर कानूनी हक है. लेकिन वह सहजता से उसे हासिल नहीं हो पाता है.उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है. कानूनन सम्पत्ति में हक के अलावा अनेक वंषानुगत या फिर परम्परागत रीति रिवाज कानून के मुताबिक उन्हें सम्पत्ति में हिस्सा दिया जाना चाहिए. लेकिन पति की अर्थी उठने के साथ ही उसे कई बार अपने पति के साथ रह रहे कमरे से बाहर कर दिया जाता है. विधवा की यदि बेटी हो कोई पुरूष सदस्य न होता परिजन चहारदीवारी में उसका घर भी नहीं रहने देते हैं. घर गिरा देने पर आवासहीनता की नौबत आ जाती है. कई बार परम्परागत कानून व रीति रिवाज गांव – गांव, जाति यहां तक कि एक ही क्षेत्र में एक

ही जाति में अलग अलग होती हैं. ऐसे विरले ही मामले हैं जहां एकल महिलाओं को सम्पत्ति में मालिकाना हक मिला हो. विधवा औरतें तो परिवारिक सहायता के बिना भूमि पर अपना नाम भी दर्ज नहीं करा पाती हैं. परिवार के सदस्यों की कोशिश यह होती है कि विधवा महिला को येन केन प्रकारेण कोई हम ही नहीं दिया जाए.

रोजगार ढूंढना शेरनी का दूध ढूंढने जैसा यानी दुलर्भ

एकल महिलाओं के लिए काम ढूंढना और आमदनी वाले रोजगार से जुड़ना सबसे कठिन कार्य है. इसका चौतरफा सर्वथा अभाव है. यह एक बुनियादी समस्याओं में से एक है. एक मिथ की औरतें घर के बाहर काम नहीं कर सकती हैं. यदि कोई औरत घर के बाहर काम कर सकती है तो वह मरदों के बिना संभव नहीं है. उसे पग पग में विध्न बाधाओं को पार करना पड़ेगा. औरतें के मस्तिष्क में भी यह बैठा है कि वे बाहर का काम करने के लायक ही नहीं है और उन्हें कुछ भी पता नहीं है. योग्यता और अयोग्यता का एक बनावटी आवरण महिलाओं के लिए बनाया जाता है ताकि उसे बाहर काम करने के लिए बारम्बार सोचना पड़े.जो एकल महिलाएं साधारण प्रशिक्षण पाकर बाहर के किसी कार्यालय में दक्षता पूर्वक कार्य कर सकती है लेकिन उसे हर तरह से अकुशल बनाकर रखने से श्रम बाजार में उसकी कीमत घट जाती है और शारीरिक तौर पर बाहरी काम करने में असमर्थ होती है. पारम्पारिक समाज होने की वजह से उन्हें बाहर निकलकर काम करना भी आसान नहीं होता है.

एकल नारी सशक्ति संगठन के शोध से ज्ञात होता है कि एकल नारी को घर से बाहर काम पर जाना पड़ता है और 74 प्रतिशत एकलमुखी महिला परिवार श्रम बाजार में अपनी भागीदारी दर्ज करती है. जबकि पुरूष प्रधान परिवारों की महिलाओं की संख्या 54 प्रतिशत है. एकल महिलाएं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उनके लिए शारीरिक श्रम कर पाना संभव नहीं होता है. यदि किसी तरह कोई काम मिल भी गया तो उसकी योग्यता की मीन मेख होती है और उसे भुगतान कम होता है.

ऋण अनुप्लब्ध

एकल औरतों को किसी भी तरह का ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. उनके उपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं. यदि उनकी आर्थिक व शैक्षणिक योग्यता हो तो भी एकल महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में बाधा है. एकल महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऋणदाता आतमविश्वास से भर नहीं पाता है. एकल औरतों के स्व सहायता समूह का कहना है कि बैंक भी उन्हें टाल देता है. एकल महिलाओं को अपनी पहचान भी एक बड़ी मुसीबत लाती है. उन्हें ऋण मिलने में अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है. वे ऋण पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों से बंधी रह जाती हैं. जीवन की उधेड़बुन और समस्याओं के जाल में वे पहले से ही फंसी होती है. ऐसे में ऋण लेने की बाधाओं को कैसे पास लगा सकती हैं.

एकल परिवारों में गरीबी का घनत्व अधिक

खगोलीकरण ने आर्थिक उदारीकरण का जो चेहरा प्रस्तुत किया है उसकी सबसे अधिक मार औरतों और उसमें भी एकल औरतों पर पड़ा है. अर्थशास्त्रियों और नारीवादियों ने इसे ''औरतों का गरीबीकरण'' कहा है. सार्वजनिक प्रतिश्ठानों में छंटनी हो तो तलवार पहले औरतों के सिर पर. पुरूशों की तुलना में औरतें तेजी से गरीब हुई हैं. एकल महिलाओं के लिए कोई अवसर ही नहीं है. वह गरीब से भी गरीब की श्रेंणी में है. एकलमुखी परिवारों में प्रतिव्यक्ति व्यय का स्तर कम है.

विधवाओं के घरों में पाया गया है कि उनके यहां निर्धनता का सतर दूसरे घरों की तुलना में अधिक है.

खाद्य सुरक्षा से वंचित

जीवनयापन और सम्पत्ति तक पहुंच नहीं होने के दुष्प्रभावस्वरूप एकल औरतों को भोजन की असुरक्षा होती है. भोजन के नाम पर कुछ भी हासिल और अच्छा भोजन पाने के लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ता है. परिवार में अगर वह आय अर्जित करनेवाली

प्राथमिक सदस्य नहीं है तो भोजन का उस तक पहुंचना अत्यंत ही कठिन है. परिवार में उसका सम्मान नहीं होने से भोजन भी सम्मानपूर्वक नहीं मिल पाता है. भुखमरी से लड़ने के लिए वह एक बार ही खाना पकाती है और एक ही थाली में खाना खाती और अपने हिस्से का भी बच्चों को देती है.

अकुशल एकल महिलाएं

परिवार की जिम्मेवारी और बच्चों की देखभाल के साथ घरों की रखवाली जैसी कुशलता रखनेवाली औरतें अकुशल मानी जाती हैं क्योंकि वह किसी तकनीक के प्रशिक्षण से दक्ष नहीं होती हैं. यही कारण है कि वह व्यस्था के द्वारा टरका दी जाती हैं और उपेक्षा का दंश झेलने को अभिशप्त हैं.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित

एकल महिलाएं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभ से भी सर्वथा वंचित होती हैं. साधारणतः सा. वि. प्र. परिवार के पुरूष मुखिया के नाम पर बनाई जाती है. काफी जद्दोजहद के बाद एकल परिवारों के नाम से राशन कार्ड बनाए जाने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया. लेकिन इसके लिए एकल नारियों को एड़ी चोटी एक करना पड़ता है. किन्हीं कारणों से पत्नी को छोड़ देने या तलाक होने की स्थिति में एकल औरतों के नाम पर राशन कार्ड नहीं बन पाता है. पति के राशन कार्ड से नाम कटवाना ही एक मुसीबत है. तभी दूसरा कार्ड बनाकर नाम दर्ज किया जा सकता है.

मनरेगा में मनमर्जी

एकल औरतों को विन्हित कर उन्हें रोजगार गारंटी के तहत काम मिलना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती है. यह परिवार आधारित योजना है और परिवार के पुरूष सदस्यों को ही प्राथमिकता दी जाती है. एकल नारी को मनरेगा का कार्य उपलब्ध नहीं होने के पीछे जोड़े को ही काम मिलना है. पुरूष और स्त्री को काम मिलने की स्थिति में एकल महिलाओं के लिए परेशानी का सबब है. एस. एस. आर. रेट द्वारा

महिलाओं के कार्य को नजरअंदाज करने की वजह से एकल महिलाओं या महिलाओं को पुरूष की तुलना में कम मजदूरी मिलती है.

वनाधिकार और एकल महिलाएं

2006 के वनाधिकार कानून में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद एकल महिलाओं को वन भूमि पर पट्टा नहीं मिल पा रहा है.झाड़खंड में एकल महिलाओं ने वन भूमि पर पट्टा के लिए आवेदन किए हैं लेकिन उन्हें अब तक वन भूमि पर अधिकार नहीं मिल पाया है और इसका कोई आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है

निम्न आय वाली महिलाएं और कामवाली

भारत जैसे गरीब देश में घरेलू कामगारों की तादाद 100 मिलियन है. इनमें औरतों और आदिवासी औरतों की तादाद अच्छी खासी है. झाड़खं डमें एकल औरतों के शोध अध्ययन में बताया गया है कि 28 प्रतिशत आदिवासी एकल औरतें घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रही हैं. लेकिन उनके लिए सामाजिक सुरखा और कल्याण के लिए कोई योजनाएं काम नहीं कर रही हैं.

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

यदि किसी परिवार के प्रधान आर्थिकोपार्जन करनेवाले का निधन हो जाता है तो राढट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत विधवा नारी को तत्काल सहायता देने का प्रावधान है.इससे महिला को तत्काल राहत मिल जाती है.यह उनके लिए तत्काल सहारा तो बन जाता है. लेकिन दूरगामी लाभ से वे वंचित होती हैं. इस योजना से 2006–2007 में योग्य लाभान्वितों में से मात्र 30 प्रतिशत लोगों को ही लाभ मिल पाया. दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, से 2008 में तो कोई लाभान्वित ही नहीं हो पाया. इससे एकल और जरूरतमंद महिलाओं के प्रति संवदेना का अभाव दिखता है.

एकल महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य

एकल महिलाओं को सामाजिक बोझ समझने की प्रवृति ने एकल

महिलाओं के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है. इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है. ऐसी एकल महिलाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नामांकन नहीं किया जा रहा है जो महिलाएं अकेली हैं या उनके परिवार में पांच से कम सदस्य हैं. ऐसे में उन्हें तमाम तरह की बीमारियों के बावजूद स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

जननी सुरक्षा योजना का लाभ एकल महिलाओं को न के बराबर है. 3 प्रतिशत से भी कम एकल महिलाओं को प्रसव के दौरान निःशुल्क अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होती है. मातृत्व लाभ भी एकल महिलाओं को न के बराबर मिलता है. घर से स्वास्थ्य केद्रं तक आवागमन की सुविधा न के बराबर है. नियमित तौर पर स्वास्थ्य लाभ चेक अप आदि के लाभ भी समुचित तौर पर उन्हें नहीं मिल पाते हैं. एकल महिलाएं भी घर में प्रसव कराने को प्राथमिकता देती हैं.पारम्पारिक धाय मां ही उनका प्रसव कराती हैं.

एकल महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या उनका अकेलापन जो कि बीमार अवस्था में उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है. साधारण बीमारियों में तो वह अकेले अस्पताल जाकर या किसी से दवा लेकर अपनी बीमारियों को दूर कर लेती हैं. लेकिन अगर अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आए तो उनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं होता है. वे अपने हाल में ही होती हैं और मरने को विवश होती है. स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने की स्थिति में अस्पतालों के रेस्पोंस भी पोजिटिव होते हैं. अन्यथा पैसे की कमी और अस्पताल का व्यय न देने की आशंका में उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाता है.

आम तौर पर एकल महिलाएं एनीमिया की शिकार है और शरीर में हर तरह की कमजोरी के कारण उनके सम्पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है. शारीरिक कमजोरी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं.

एकल विकलांग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुलभ हो पाना ही दुलर्भ है. विकलांगता की मार सहती एकल महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा तक स्वयं का पहुंचा पाना संभव ही नहीं होता है.उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने से सामान्य योजनाओं से उन्हें लाभ

मिलना आसान नहीं होता विकलांगता की वजह से वे बारम्बार सरकारी कार्यालयों में भी दौड़ नहीं लगा पाती हैं.

विधवा और अन्य श्रेणी की एकल महिलाओं को सामान्यतः परिवारजन सम्पत्ति में अधिकार नहीं देना चाहते हैं. ऐसे में उन्हें सबसे आसान रास्ता उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर विभिन्न मानसिक अस्पतालों व संस्थानों में नामांकन करा दिया जाता रहा है. भारत सरकार वर्त्तमान में ऐसी एकल महिलाओं का पता करा रही है जिनको मानसिक रूप से बीमार बताकर सम्पति से वंचित रखने के लिए उन्हें मानसिक संस्थानों में भरती करा दिया गया है. यह समाज के विकृत चेहरे को उजागर करता है.ऐसे परिजनों और इसके लिए उत्तरदायी लोगों को सजा के ठोस प्रावधान किया जाना चाहिए. सरकार ऐसे अध्ययन व रिर्पोट जारी कर दोषियों पर कार्रवाई करे ताकि एकल महिलाओं को सम्पत्ति में हक प्राप्त हो सके तथा वे न्यापूर्ण जीवन जी सके.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद नहीं मिल रहा है लाभ

सर्वोच्च न्यायालय ने पी. यू. सी. एल. बनाम भारत सरकार के मामले में याचिका संख्या 196/2001 के मामले में 2 मई 2003 को अंतरिम आदेश जारी किए हैं. इसमें स्पश्टतः सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कहा गया है कि सभी विकलांग आदिम जनजातियों, एकल महिलाओं और विधवा महिलाओं को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किया जाए. संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की बात कही गई है. एकल महिलाओं को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित न होने की स्थिति में उनके जीने का अधिकार ही छीना जाता रहा है.

एकल नारी का संदर्भ सूत्र व निष्कर्श

अधिकांश विकासशील देशों में भोजन का 60–80 प्रतिशत भाग महिलाओं द्वारा उत्पादित होता है. इतना ही नहीं वे अधिकतर घरों में भोजन पकाने व परोसने वाली भी है. फिर भी भारत की सामाजिक एवं

सांस्कृतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि घरों में महिलाएं न केवल कम से कम एवं बचा हुआ भोजन करती हैं बल्कि घर में भोजन की कमी की स्थितियों में उन्हें भोजन ही नहीं मिलता है. एकल नारी को भोजन एवं जीवनयापन के लिए अतिरिक्त भेदभाव एवं सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ता है. चाहे वह स्वतंत्र रूप से अकेली रहती हैं या परिवार के साथ रहती हैं उन्हें हर समय संघर्शरत रहना पड़ता है.

एकल नारी कई प्रकार की हैं. वे अनेक तरह के शोशण की शिकार होती हैं. वे बिना शादी किए हुए या परित्यक्ता या पति को छोड़े हुए वे जवान या वृद्ध विधवाएं भी हो सकती हैं. वे अपने पीहर के परिवारों के साथ या ससुराल के लोगों के साथ या बच्चों के साथ रहनेवाली किसी साथी के साथ बिना शादी किए हुए या अकेली रहनेवाली गरीब या अमीर हो सकती हैं. ये महिलाएं अन्तरजातीय शादी किए हुए उनके नियम कायदों के अधीन रहनेवाली भी हो सकती है. लेकिन एक बात जो उन सभी के जीवन में समान है वो है उनके जीवन में एक पुरूष के द्वारा सुरक्षा कवच जो अंततः नियंत्रण में बदलती हैं, का अभाव होना है. यह बात हमारे पितृसत्तात्मक समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने में रोड़ा बनती है. कहने का तात्पर्य है कि पौरूषता की छाया व उनके बंधन से मुक्त औरतों के लिए किसी भी तरह से प्रतिष्ठा पाना आसान नहीं होता है. यानी प्रतिष्ठा भी पौरूषता से संचालित है जिसे अनेक महिलाओं ने अपने मील पत्थर बनाकर ध्वस्त किया है.

चाहे वह अमीर परिवार से है या गरीब परिवार से अधिकाश समाजों में विधवा होना ही उसके लिए अभिशाप है. परन्तु उच्च जाति के हिन्दू परिवारों में यह बहुत ही भयानक है. महिलाओं को परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा करनेवाली के रूप में देखा जाता है. ऐसी धारणा है कि जब महिला कम उम्र में विधवा होती है तो इस प्रतिष्ठा के टूटने का खतरा अधिक रहता है. क्योंकि तब उस महिला की यौनेच्छा जनन क्षमता एवं सम्पत्ति पर अधिकार करने की भावना पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है. इसलिए उसे इन सभी से अलग रखा जाता है. पारम्पारिक रीति रिवाज के विरूद्ध एक विधवा महिला दूसरी एकल महिला जो कि बिना पुरूष संरक्षण में है यौनेच्छा

की पूर्त्ति के लिए ''उपलब्ध साधन मानी जाती है''. उड़ीसा के तूफान 1999 एवं गुजरात में भूकम्प से विधवा हुई महिलाएं विपत्तिकाल में अपने ही परिवारों के लोगों की हवस का शिकार बनी थी. इसी तरह वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से विधवा हुई महिलाएं भी अपने ही परिवार एवं समाज के लोगों के शोषण का शिकार हुई थी.

चाहे उनकी कोई भी उम्र हो हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह में आज भी कई सामाजिक वर्जनाएं विद्यमान हैं. एक बार विधवा बन गई महिला को सम्मानपूर्वक नहीं देखा जाता है एवं उनपर कई तरह के बंधन डाल दिए जाते हैं. उनसे सिर के बाल कटवाने की अपेक्षा की जाती है. साधारण सफेद कपड़े पहनने एवं सुहागनों के प्रतीकात्मक सिन्दूर आदि का उपयोग नहीं करने दिया जाता है. एकान्त में शाकाहारी भोजन करने एवं उत्सव पर्वों में उनकी भागीदारी नहीं होने की अपेक्षा भी की जाती है. विधवापन के धार्मिक विधि विधान विधवा महिला की यौनेच्छा को दबाने का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है. यह समाजशास्त्रीय और नारीवादी विश्लेशण है जो स्त्रीत्व की मानवीय जरूरत के खिलाफ है.

पति के निधन के पश्चात् विधवा की परिवार में कोई इज्जत नहीं होती है. उसे परिवार पर बोझ समझा जाता है जिसको सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है, उत्सव एवं जलसों में उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता है. जवान विधवाओं को तो अपने पति की मृत्यु का उत्तरदायी भी माना जाता है. सती प्रथा इसी का परिणाम है जो कि **''बिना पति के पत्नी को जीवन जीने का अधिकार नहीं''** की मान्यता पर आधारित है.

इससे भी बदतर हालात उन महिलाओं की है जो पति के जीवित होते हुए ''अकेली'' है. कई विवाहित महिलाएं परिवार में अमानवीयता की शिकार हैं. कई महिलाएं लगातार मारपीट, अमानवीयता, शारीरिक एवं मानसिक निदर्यता को सहती हैं व उसका विरोध कर पाती या करना नहीं चाहती.

इस अमानवीयता के पीछे कई कारण हो सकते हैं. कुछ ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं जैसे यह स्त्री का कर्त्तव्य है कि वह अपने पति के साथ रहे, चाहे उसे शोषण का शिकार ही क्यों न होना

पड़े एवं यह कि स्त्री की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्वीकार्यता एवं सामाजिक संरक्षण उसके विवाहित जीवन के जीवित रहने पर ही निर्भर है. यहां तक कि यदि कोई स्त्री इन सामाजिक मान्यताओं से उपर उठ कर कोई कदम उठाना भी चाहे तो उसके पीहर पक्ष वाले उसे पति को छोड़कर पुनः पीहर में रहने देने की स्वीकृति कदापि नहीं देते और इसीलिए स्त्री को न चाहते हुए भी अपने पति से शोषित एवं उत्पीड़ित होने के बावजूद भी उसे वहीं रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई सहारा आसरा नहीं रहता. वह शैक्षिक योग्यताओं की कमी एवं व्यावसायिक योग्यताओं का अभाव होने के कारण आर्थिक आत्मनिर्भर बनने के आत्मविश्वास को खो देती है. अन्त में वह अपने बाल बच्चों के कल्याण हित की चिन्ता में निःसहाय बन जाती है.

इन विशिष्ट सांस्कृतिक पीड़ाओं के दंश को झेलते हुए विधवाएं विशषतः समाज हिन्दू समाज में अपने पिता के घर एवं पति के घर में अक्सर हवस का शिकार बनती हैं. दहेज के कारण बेमेल विवाह करने को बाध्य होती हैं और असमय विधवापन झेलने या फिर कुलक्षणी का ताना भरा संबोधन झेलने को अभिशप्त होती हैं.उत्तरी भारत के धार्मिक नगरों वृन्दावन एवं बनारस जैसे धार्मिक शहरों एवं अन्य स्थानों की तंग गलियों में इन्हें भेज दिया जाता है. वृन्दावन और बनारस में विधवाओं का अभिशप्त और त्रासद जीवन अनेक कथाओं को समेटे हुए है. 19वीं सदी के प्रारंभ से ही विधवाओं को पवित्र और धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए भेज दिया जाता था. परिवार वाले इन्हें तीर्थ के नाम पर लाते थे और यहीं छोड़कर चले जाते थे. वृन्दावन और बनारस में आज भी हजारों की संख्या में विधवा महिलाएं हैं.

आवश्यकता इस बात की है कि एकल महिलाओं के प्रश्न की गंभीरता को समझने के लिए सरकार पहल करे. सबसे प्राथमिक सवाल तो यह है कि ऐसी औरतों के बारे सरकार हर स्तर पर जानकारी एकत्रित करे. यह सरकारी और गैरसरकारी व किसी भी निजी शोध संस्थानों के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है. इसपर आधारित राष्ट्रव्यापी बहस और विमर्ष की जरूरत है. इससे एकल महिलाओं के सवालों को हर स्तर पर सुलझाने में जेडर विशेषज्ञों, रणनीतिकारों और नीति निर्धारकों को आसानी होगी. देश में एकल

महिलाओं पर विभिन्न महिला संगठनों और एजेंसियों के अनेक उल्लेखनीय और मार्गनिदेशक कार्य सम्पन्न किए गए हैं. जिन्हें सरकारी स्तर पर समझा और परखा जाना और नीति व योजनाओं में समावेश किए जाने की आवश्यकता है. यह महत्ती कार्य किए बिना कोई भी सरकारें जेंडर जस्टिस नहीं कर सकती हैं और न ही जेंडर जस्ट या बैलेंस सोसायटी की स्थापना नहीं हो सकती है.

सरकार को इसके लिए नीति कार्यक्रम और योजनाओं का निर्धारण करने की आवश्यकता है ताकि समग्रता में सर्वमान्य तौर पर इस सवाल को हल किया जा सके. यह एकल महिलाओं को हर तरह के नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगा. एकल औरतों की दोहरी पीड़ा का अंत होगा और वह हर मानवीय मूल्यों के साथ गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जी सकेगी.

वैसे तो देश भर में महिलाओं को अनेक कानूनों के जरिए न्यायिक सुरक्षा प्रदान किए गए हैं. लेकिन एकल महिलाओं को विशेष तौर पर न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है. उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक तौर पर पहल कर कानून बनाए जाने की जरूरत है. इसके तहत तमाम सरकारी व निजी तंत्रों में एकल महिलाओं को प्राथमिकता देने के प्रावधान किए जाने चाहिए तथा उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए.

अनुशंसा

1. भारत में लघुवनोपज आधारित लघु व वृहत् उद्योगों की स्थापना किया जाए ताकि वनों पर आश्रित लोगों को आजीविका का साधन मुहैया हो सके. सहकारिता कानून में संषोधन कर सरकार का नियंत्रण सहकारिता के क्षेत्र में खतम किया जाए.
2. एकल नारी जो परिवार की मुखिया है को भी वन भूमि पर पट्टा दिया जाए और इस बाबत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में एकल नारी के लिए प्रावधान किया जाए.
3. वनाच्छादित इलाके से आदिवासियों व अन्य परम्परागत वन

निवासियों का जबरन विस्थापन पर रोक लगाया जाए तथा वन प्रांतर से बेदखल हो विस्थापन के शिकार लोगों की मानव तस्करी पर रोक लगाया जाए.वनों की अंधाधुंध कटाई पर और वन विभाग की भूमिका पर रोक लगाकर औरत के स्वाभिमान को स्थापित किया जाए.

4. महिला सहकारिता का गठन कर वनोपजों का संग्रह और भंडारण किया जाए तथा वनाधिकार कानून के आलोक में वन निगम को समाप्त कर वनोपजों की लूट रोकी जाए. इसके लिए महिलाओं को विषेश प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इस दिषा में सांस्थानिक पहल स्थापित हो सके.

5. ग्राम स्तर पर भूमि प्रबंध समिति का गठन कर इसमें महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए.

6. झाड़खंड राज्य में 9 लाख एकड़ भूदान की भूमि का वितरण एकल नारियों के बीच किया जाए.

7. राष्ट्रीय आजीविका मिषन के कार्यक्रम में एकल नारियों को जोड़ने और जैविक खेती व खाद्य सुरक्षा में एकल नारियों को जोड़े जाने से उत्पादकता में वृद्धि के परिणाम हो सकते है. अतएव उन्हें इन कार्यक्रमों से लिंक किया जाए.

8. एकल नारियों को श्रम विभाग के द्वारा श्रम कार्ड दिए जाने का प्रावधान किया जाए तथा वनोपजों के संग्रहकर्त्ता, छोटे भेंडरों, स्टोन चिप्स मेकर, घरेलू कामगार को मजदूर का दर्जा दे उसे श्रम विभाग के अन्तर्गत अलग श्रेणी दिया जाए.

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत एकल नारी जो अपने परिवार में अकेली है या फिर उसे बी. पी. एल. या जॉब कार्ड नहीं है को बीमा योजना कार्ड के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए. पंचायत प्रतिनिधियों को इसके लिए अधिकृत किया जाना चाहिए.

10. एकल नारियों को जीवन बीमा का लाभ दिया जाए इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाए ताकि वे उनका नाम जीवन बीमा के लिए अनुशंसा कर सके.

11. अनगिनत कल्याणकारी योजनाएं, स्कीम और प्रावधान सरकार ने औरतों के उत्थान के लिए लागू किए हैं. लेकिन इसे एकल नारियों को लेकर फोकस नहीं किया गया है. केंद्र सरकार व राज्य की सरकार एकल नारियों को भी कल्याकारी योजनाओं, स्कीम और प्रावधानों का लाभ पहुंचाने के लिए आवष्यक दिशानिर्देष जारी करे.

डाइन प्रथागत व्यवहार का निशेध

12. समाज का रूखापन और एकल नारियों पर बेइंतहा विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के मद्देनजर घरेलू हिंसा कानून के सख्ती से पालन के लिए ढांचागत कदम सरकार उठाए. साथ ही डाइन प्रथा प्रतिशेध अधिनियम 2001 में यथोचित संषोधन कर उसे सख्त बनाया जाए.

    ए. केंद्र सरकार पहल कर एक केंद्रीय कानून बनाए जिससे औरतों को खासकर एकल नारियों को डाइन बताकर प्रताड़ना, गांव बहिष्कार, डाइन बताकर हत्या और तरह तरह के अमानवीय जुल्म का खात्मा किया जा सके.

    बी. यह देखा जाता है कि डाइन बताकर औरतों का शोषण और प्रताड़ना एक सामान्य सामाजिक परिघटना है. अतएव सरकार केंद्रीय कानून में इन महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था का भी प्रावधान करे.

    सी. डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना फंड के तहत अनुसूचित जाति की डाइन पीड़ित औरतों के लिए भी राहत दिए जाने का प्रावधान हो.

13. सर्व शिक्षा अभियान या स्कूल चलें चलाएं अभियान के तहत सरकार एकल महिलाओं के बच्चों का स्कूल में नामांकन करने पर विशेष ध्यान दे. साथ ही बाल अधिकार के तमाम पहलूओं के मद्देनजर एकल महिलाओं के परिवार के बच्चों को भी लाभ दिया जाना चाहिए. स्कूल व्यवस्था में सुधार व विकास का ऐसा प्रयास हो ताकि एकल नारी के बच्चों को दूरगामी लाभ मिल सके.

14. एकल नारियों को वेतन आधारित नौकरी नहीं होती है.उन्हें परिवार से कुछ सहायता मिलती है जिससे उनका जीवन का गुजारा होता है. वे किसी तरह से दक्ष या कुषल नहीं होती हैं. ऐसे 75 प्रतिशत परिवारों में एकल नारियों का आय न्यूनतम मजदूरी से भी कम होती है. अतएव सरकार उन्हें गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में दर्ज करें.

15. सामाजिक सुरक्षा गरीबों एकल नारियों का अधिकार है. एक अधिनियम के द्वारा एकल नारियों विकलांगों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित राशि मुहैया कराई जानी चाहिए. ताकि गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी हो सके.

16. आजीविका योजना के तहत एकल नारियों के अनुकूल कार्यकुषलता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध हो जो उनके शिक्षण योग्यता से मेल खाता हो ताकि वे आर्थिकोपार्जन कर अपना जीवनयापन कर सके.

17. अलग हो चुकी एकल नारियों की पहचान एकल नारी के रूप में और अविवाहित के रूप में होनी चाहिए क्योंकि वे पति से अलग जीवन बसर करती हैं.

18. वैवाहिक जीवन में अर्जित सम्पत्ति पर पति और पत्नी का बराबर का हक होता है.अलगाव की स्थिति में पत्नी के श्रम आधारित योगदान का हिसाब उसके श्रम के आधार पर भी होना चाहिए, जिसका मूल्य नहीं किया जाता है. घरेलू श्रम को मान्यता देने संबंधी कानून बनाए जाने चाहिए. महिलाओं के मेहनत और संजोने की प्रवृति से अर्जित सम्पत्ति को कानून बनाकर मान्यता दिया जाए.

एकल नारी के रूप में पहचान व मान्यता

19. अविवाहित एकल नारियों के लिए कोई योजना या अधिनियम इस देश में नहीं है. उनको मान्यता व पहचान देने को अधिनियम की आवश्यकता है.

    ए. स्थानीय निकायों नगर निगमों या पंचायती राम संस्थाओं

के द्वारा एकल नारियों को पहचान पत्र या प्रमाण पत्र दिया जाए. अधिकतर अलग रह रही महिलाओं के पास तलाक का कोई कोर्ट पेपर नहीं होता है.ऐसी महिलाएं जो छह माह या उससे अधिक अवधि से अलग रहकर बच्चों की परवरिष कर रही हो और अपने परिवार की मुखिया हो उन्हें पहचान पत्र मिलना चाहिए.

बी. सरकार उन एकल नारियों जो पति से अलग जीवन व्यतीत कर रही हो जिन्हें पति ने छोड़ दिया हो या अन्य कारण से अलग रह रही हो उनके लिए कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए.

सी. जनगणना में सामान टी. वी. और पक्का घर आदि देखा जाता है.यह सामान पति पत्नी से वापस लेता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है. ऐसी महिलाएं आयकर देने योग्य नहीं होती हैं.

20. एकल नारियों जो निम्न आय वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे हैं, को चिकित्सा सुविधा व अन्य नागरिक सुविधा बिजली पानी और शौच उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

21. भारत सरकार को एच. आई. वी. एड्स की प्रथम श्रेणी की दवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए साथ ही दूसरी श्रेणी की दवाओं को भी निःशुल्क दिया जाना चाहिए.

एकल नारियों के भूमि अधिकार

22. एकल नारियां केवल एक समुदाय से नहीं हैं. सभी श्रेणी की एकल नारियों को भूमि पर अधिकार दिया जाए. वे भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, व खास प्रक्षेत्र से आती हैं.उन्हें बिना जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के भेदभाव के बराबर रूप से भूमि पर अधिकार उपलब्ध कराया जाए.यह अधिकार माता पिता और पति के घर में सुनिश्चित किया जाए.

ए. जेंडर न्याय आधारित भूमि बंटवारा में एकल नारियों को हक दिया जाए.

बी. विवाह के दरम्यान सम्पत्ति व अन्य संसाधनों के कागजातों में संयुक्त तौर पर पति पत्नी का नाम दर्ज किया जाए.भूमि और सम्पत्ति अधिकार में मां के साथ नाबालिग बच्चों का नाम भी दर्ज करने का प्रावधान किया जाए. बच्चे जब बड़े हो जाएं तो भूमि और सम्पत्ति का बंटवारा मां और बालिग बच्चों के बीच में बराबर बराबर बंटवारा किया जाए.

सी. वैवाहिक सम्पत्ति संबंधी भूमि कागजातों को अद्यतन और दृष्यमान किया जाए ताकि स्त्री का मालिकाना हक उसे दिया जा सके. विधिक तौर पर मालिकाना हक में औरत का नाम होने से भूमि की बिक्री होने, या स्थानान्तरण होने की स्थिति में औरत की सहमति से हस्ताक्षर की कानूनी जरूरत हो.

डी. एकल नारियों के भूमि और सम्पत्ति संबंधी अधिकारों को पुरूश सदस्य को देने के लिए पारिवारिक दवाब बनाने की स्थिति में औरत की स्थिति का आकलन कर लगभग एक साल तक के लिए उस पर हस्तक्षेप नहीं किया जाए. साथ ही परिवार के साथ इस संदर्भ में परामर्ष किया जाए.

ई. एकल नारियों को जैविक कृषि के लिए सहयोग दिया जाए.

एफ. एकल नारियों को सहकारिता गठन के लिए सहायता दी जाए. पानी और बाजार उपलब्ध करा कर तथा मनरेगा के जरिए छोटे व मझोले महिला किसानों को मदद दी जा सकती है.

जी. एकल महिला किसानों के यहां आत्महत्या होने की स्थिति में उन्हें दोबारा से जैविक खेती के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए.

एच. सरकारी योजनाओं के तहत भूमिहीन और आवासहीन एकल नारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भूमि और आवास मुहैया कराया जाए. भूमि और उनके विकास के लिए राषि का आबंटन भी बजट में किया जाना चाहिए.

आई. भूमि और सम्पत्ति से संबंधित मामले जब अदालत में विचाराधीन हो तो मामले का फैसला होने तक संबंधित भूमि और सम्पत्ति से आजीविका के निर्वहन के लिए औरत और उसके बच्चे को अदालत द्वारा अधिकार दिया जाए.

23. एकल नारियों को एक पारिवारिक इकाई माना जाना चाहिए तथा उन्हें उसकी आर्थिक हालात के अनुरूप राषन कार्ड, बी. पी. एल. कार्ड आदि मुहैया कराया जाना चाहिए.चाहे वह मायके में हों या फिर पति के घर में.

ए. एकल नारी परिवार के लिए अलग राशन कार्ड का प्रावधान हो जिसमें उसपर आश्रित सभी पारिवारिक सदस्यों को नाम दर्ज हो जो कि उसका प्रमाण भी साबित हो सके.

बी. माता पिता या पति के परिवार में रह रही एकल नारी को बी. पी. एल. कार्ड की सुविधा मिल ताकि वह अपना अन्य उपाय कर जीवनयापन कर सके.

24. केद्र सरकारें राज्य सरकारों को पेंशन योजना के तहत राशि आबंटित करती है. इस योजना में विधवा महिलाओं को पेंशन राशि मिल जाती है. लेकिन सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एकल नारियों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता है. सभी श्रेणी की एकल महिलाओं के लिए मासिक 5000 रू. का बजट प्रावधान किया जाए. सम्पूर्ण भारत में पेंशन योजना में समरूपता लाई लाए. किसी राज्य में 200 तो कहीं 400 रू. दिए जाते रहे हैं.

25. विकलांग व शारीरिक तौर पर कमजोर एकल नारियों को स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए.

26. मनरेगा में एकल नारियों को काम प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए.

राष्ट्रीय बजट का प्रावधान हो

27. एकल नारियों यथा विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित, पति से अलग,

या गुमशुदा पति या छोड़ी हुई या अलग रह रही औरतों के योजना बजट में अलग से बजट प्रावधान किए जाने की जरूरत है.

28. योजना आयोग के जेडर बजट में अनेक विशेषीकरण महिलाओं के लिए किए गए हैं. उसी के अन्तर्गत एकल नारियों के लिए भी योजना आधारित विषेश बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जो कि फोकस हो और इृष्यमान हो साथ ही सभी योजनाओं के तहत उसके विकास की निगरानी का ढांचा भी विकसित किया जाए.

29. भारत सरकार अकुशल कार्यो में एकल नारियों को विशेष आरक्षण का प्रावधान देने संबंधी नीति निर्धारण की दिशा में पहल करे जैसे भोजन बनाना, आया, रात्रि प्रहरी, सरकारी छात्रावासों, अल्पआश्रयगृह, आंगनबाड़ी केंद्र, महिला छात्रावासों और केद्रीय खादीग्रामोद्योग में उनके लिए स्थानों को प्राथमिकता के आधार पर तय किए जा सकते है.

30. एकल नारियों का आश्रय गृहों में प्राथमिकता दी जाए.

31. एकल नारियों के बच्चों को छात्रावासों में सीट देने और छात्रवृति का अलग से प्रावधान हो ताकि एकल नारियों के बच्चे षिक्षा को जारी रख सकें.

शोध अध्ययन, विश्लेषण, संकलन और आकलन

वासवी किड़ो

पूर्व सदस्य, झाड़खंड राज्य महिला आयोग

कोर सदस्य नेशनल एलायंस ऑफ वुमेन (नावो)